




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), जमुई
जिला- जमुई



महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 898/17-18 आरके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैं। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित माध्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथा छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

— ६० —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/14718/404

दिनांक-30.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई



तन्वीर हसन 30/01/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.-893/17-18

साप्ताहिक प्रक्षेत्र-1

भाग-I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।
2.	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता:	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जमुई श्री अवधेश कुमार, पथ निर्माण विभाग जमुई 28.09.2013 से 19.02.2015 मो0 शाहिद आजम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई 19.02.15 से 31.12.2016 मो0 अरशद आलम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई 31.12.16 से अबतक
03.	लेखा परीक्षा की अवधि :	अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक
04.	लेखापरीक्षा की तिथि:	16.10.2017 से 28.10.2017 तक (08 कार्य दिवस)
05.	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2014, अप्रैल 15 एवं जनवरी 2016
06.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के. वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री आलोक कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री अजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री विजेश्वर कुमार, लेखा परीक्षक
07.	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह मार्च 2014, अप्रैल 15 एवं जनवरी 2017 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के दौरान बैंक/कोषागार से जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
08.	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण जमुई से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना, लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग- II

खण्ड- क शून्य

खण्ड- ख

कड़िका 01- योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन (रू.

7.40 लाख)

एकरारनामा संख्या	-	15 F2/2015-16 एम.बी. सं०---- 15/2015-16
योजना का नाम	-	Construction of PCC road/cum drain in Sohjana from house of Shri Suresh Verma to irrigation canal via Ramani tola Jhajha under MMNVY during year of 2014-15.
Name of Agency	-	Sri Manoj Kumar
प्रशासनिक स्वीकृति	-	जिला संचालन समिति, नगर विकास योजना, जमुई के द्वारा नगर पंचायत, झांझा के लिए चयनित योजना के क्रमांक 07 पर अंकित।
तकनीकी स्वीकृति	-	कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।
प्राक्कलित राशि	-	24,60,889 /--
एकरारनामा की राशि	-	22,14,800 /-- (10 प्रतिशत कम दर पर)
कार्यादेश की तिथि	-	08.01.2016
कार्य पूर्ण करने की अवधि	-	4 माह
अभिकर्ता को भुगतान विवरणी	-	

क्र०	विपत्र सं०	राशि	S.D.	I.T.	S.T.	L. Cess	Royalty	शुद्ध भुगतान
1	1 st on A/c Bill	853124	42656	8531	42656	8531	9338	741412
2	2 nd on A/c Bill	1356514	67826	13565	81391	13565	19299	1160868

लेखा परीक्षा टिप्पणी

01. निर्माण कार्यो का विभिन्न स्तरों पर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी तथा जांच प्रतिवेदनों के साथ संधारण का प्रमाण नहीं पाया गया।
02. दिशा-निर्देश के आलोक में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

03. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू० 5.09 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य

पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के डुलाई पर रू0 5,09,225/-- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 5,09,225/-- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	डुलाई दर	राशि रू0
1	ईट	85483 nos	672.26/1000	57467
2	कोर्स बालु	215.41 M ³	210.42/M ³	45326
3	स्टोन चिप्स	153.83 M ³	2642.48/M ³	406493
				509286

04. Additional Performance Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 0.92 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0-2/2003 - 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका स0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performance Guarantee प्रतिशत की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performance Guarantee के रूप में राशि की मांग करनी थी।

Additional Performance Security की मांग नहीं किया गया जबकि एकरारनामा 10 प्रतिशत प्राक्कलन से कम पर किया गया जिसके कारण संवेदक को अदेय लाभ प्राक्कलन का 3.75% = 3.75% of 2460889 रू0 = 92283 रू0 हुआ।

05. बिना Deviation at a site statement का अनियमित भुगतान (रू0 1.17 लाख)

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0-27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना अनिवार्य है।

इस योजना कार्य में विचलन का विवरण निम्न है—

क्र०	कार्य का नाम	प्रा० मात्रा (बी.ओ.क्यू)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि (प्रतिशत में)	अंतर मात्रा	दर	राशि
1	Construction of embankment with approved material E/I	280 M ³	329.40 M ³	17.64	49.4	205.20	10137
2	Local sand filling in foundation	30 M ³	32.94 M ³	9.8	2.94 M ³	438.97	1291
3	Designation 100 A brick	400 M ²	439.20 M ²	9.8	39.20 M ²	262.13	10275
4	Plain cement concrete M10 in foundation	40 M ³	43.92 M ³	9.8	3.92 M ³	5675.97	22250
5	Brick Work 100A (1:4)	112.50 M ²	126.34 M ²	12.3	13.84 M ²	4800.71	66442
6	RCC M20	60 M ³	60.75 M ³	1.25	0.75 M ³	6233.26	4675
							115070

Deviation at a site statement Register प्रस्तुत नहीं किया गया।

06. प्राक्कलन से अधिक दर से गणना के कारण अधिक भुगतान (रु० 0.41 लाख)

Sl. No.	Item of works	Estimated Rate	As per MB Calculated	Extra Payment
A	Providing RCC M20 for Slab of Drains (MB page No. 38)	6233.26/M ³	6672.90/M ³	(6672.90 – 6233.26) x 60.75/-=26708
B	Providing S/F/F M/S reinforcement in RCC work (MB Page No. 38)	70.80/Kg	74.00/Kg.	(74.00 – 70.80)X 4500/- = 14400/-
कुल अधिक भुगतान (a+b)				41108/-

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. फोटोग्राफी की गयी है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जाँच कराया गया है।
4. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
5. Deviation 1.25 प्रतिशत से 17.64 प्रतिशत तक है जो कार्यपालक अभियंता के अधीनस्थ आता है।
उनके द्वारा मापीपुस्त हस्ताक्षरित है।
6. जाँचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा नियमों के पालन में ढिलाई बरती गयी है।

कडिका 02— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रु. 14.25 लाख)

एकरारनामा सं०	01/F2, 2013-14 एम.बी. सं०-01/2013-14, 02/2013-14
	की समीक्षा
योजना का नाम	वार्ड सं० 8 जमुई में वीरेन्द्र सिंह के घर से इन्दुभूषण के घर तक पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रु० 4376700/--
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 21.04.2013
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री अशोक कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	20.11.13
कार्य पूर्ण करना था	13.02.14
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु० 3609020/-- (15 % below)
भुगतान	रु० 3607926/--

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रु० 3.16 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003-3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप में राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 1 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25 प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50 प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 15% below पर एकरारनामा की राशि रु० 3609020/-- से रु० 315789/-- का $(3609020/-- \times 8.75\%)$ मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रु० 315789/-- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 11.09 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवदेक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1109013/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1109013/- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	304.94 m ³	215.90/m ³	653787
2	स्टोन चिप्स	401.56 m ³	2107.65/m ³	846348
3	ईट	190316 no.	467.05/1000	88887
				1109022

3. गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जाँच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।

4. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

अपवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त स0 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जॉच कराया जाता है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना के क्रियान्वयन में नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 03— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन

एकरारनामा सं०	07/F2, 2013-14 एम.बी. सं०-15/2013-14, 16/2013-14
	की समीक्षा
योजना का नाम	जिला पदाधिकारी, जमुई निवास से जमुई मुख्य सड़क तक पीसी0सी0 पथ तथा नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रु० 2759200/-
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 25.04.13
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री प्रभात कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	25.11.13
कार्य पूर्ण करना था	24.02.14
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रु० 2576172/- (5.7 % below)
भुगतान	रु० 2528924/-

1. Additional Performance Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रु० 0.58 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003- 3876 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये

प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performance Guarantee के रूप राशि की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 01 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% एक प्रतिशत अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performance Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 5.7% below पर एकरारनामा किया गया परन्तु डूडा द्वारा रू0 57964/- का (2576172/- X 2.25%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 57964/- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 8.35 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का स्थापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक विदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 835266/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 835266/- का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	210.525 m ³	215.90/m ³	45452
2	स्टोन चिप्स	366.599 m ³	2107.65/ m ³	772662
3	ईट	36724 no.	467.05/1000	17152
				835266

3. गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जाँच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।

4. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त सं0 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेंसी को समर्पित करेगी। परन्तु संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जॉच कराया जाता है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में सभी नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 04— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन (रु. 11.46 लाख)

एकरारनामा सं0	E-Tender-01/2015-16 एम.बी. सं0-01/2015-16 की समीक्षा
योजना का नाम	वार्ड संख्या 18 में कलीम मियां के घर से मनीष कोल डिपो तक पी0सी0सी0 पथ तथा नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रु0 4086400/--
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 12.08.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री विभाष कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	04.09.2015
कार्य पूर्ण करना था	03.01.2016
कार्य की स्थिति	पूर्ण

एकरारनामा की राशि रू0 3502807 /-- (10 % below)

भुगतान रू0 3498094 /--

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू0 1.31 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0-2/2003- 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 01 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी।

लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 10% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 131355 /-- का (3502807 /-- X 3.75%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 131355 /-- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 8.68 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 868310 /-- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 868310 /-- का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	दुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	337.69m ³	210.42/m ³	71057
2	स्टोन चिप्स	303.71m ³	2345.89/ m ³	712470
3	ईट	126116 no.	672.26/1000	84783
				868310

- प्रपत्र एम० एवं एन० नहीं संचिका में संलग्न नहीं था।
3. **गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**
 बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जाँच करवाया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।
4. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**
 आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त सं० 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है; यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।
 परन्तु संचिका जाँच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. **समय सीमा के अन्दर कार्य की समयवृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू० 1.47 लाख**
 एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयवृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयवृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जाँच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयवृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 03.01.2016 तक थी। समयवृद्धि हेतु काटी गयी राशि रू० 261919/- (कटौती- द्वितीय एवं तृतीय चालू विपत्र) थी। एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार प्राक्कलित राशि ₹ 4086400/- का 10 प्रतिशत रू० 408640/- की कटौती नहीं कर संवेदक को 146721/- (408640 - 261919) अदेय सहायता दिया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जाँच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जाँच कराया जाता है।
5. संवेदक के एकाउन्ट बिल के साथ समय वृद्धि की राशि की कटौती की गयी है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 05—योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन (रू. 16.74 लाख)

एकरारनामा सं०	E-Tender-03/2015-16 एम.बी. सं०-07 / 2015-16 की समीक्षा
योजना का नाम	कमल टॉकिज से खलासी मुडुल्ला झाड़ा तक पी०सी०सी० पथ निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू० 3823900 /—
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 11.05.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	18.12.2015
कार्य पूर्ण करना था	17.04.2016
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू० 3292405 /— (10 % below)
भुगतान	रू० 2417112 /— (2 nd on A/c Bill)

1. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू० 1.23 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०६ / 1 / वी०-2 / 2003- 3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कद दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे

Additional Performance Guarantee के रूप राशि की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25 % प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात् 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performance Guarantee के रूप राशि को मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 10% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 123465 /- का (3292405 /- X 3.75%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 123465 /- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. डुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 11.46 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के डुलाई पर रू0 1146051 /- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1146051 /- का भुगतान अनियमित था।

क्र०	सामग्री का नाम	मात्रा	डुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	322.87 m ³	210.42/m ³	67938
2	स्टोन चिप्स	394.05 m ³	2642.48./ m ³	1041269
3	ईट	54806 no.	672.26/1000	36844
				1146051

प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था।

3. गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त सं० 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा। जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. **समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू० 3.82 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 17.04.2016 तक थी। एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार प्राक्कलित राशि 3823900/-- का 10 प्रतिशत रू० 382390/-- की कटौती नहीं कर संवेदक को रू० 382390/-- अदेय सहायता दिया गया है।

6. **बिना मापी के भुगतान कर संवेदक को अदेय सहायता रू०.23लाख**

इस कार्य के प्रथम चलंत बिल में सेंट्रिंग तथा "ट्रिंग कार्य की मापी नहीं की गई थी लेकिन संवेदक को रू० 23421/-(140.40 m²×166.86/ m²) अदेय सहायता दिया गया था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर जॉच कराया जाता है।
5. संवेदक के एकाउन्ट बिल से समय वृद्धि की राशि की कटौती उसके अवशेष भुगतान की राशि से कटौती कर ली जायेगी।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 06— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन (रू. 15.85 लाख)

एकरारनामा सं०	01/SBD, 2014-15 एम.बी. सं०-09/2013-14, 27/2013-14, 28/2013-14, 29/2013-14 की समीक्षा
योजना का नाम	नगर परिषद जमुई के नगर सरकार भवन का निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू० 20221719/--
तकनीकी स्वीकृति	मुख्य अभियंता केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग बिहार पटना दिनांक 25.02.2014
प्रशासनिक अनुमोदन	संयुक्त सचिव सह निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3059 दि० 18.12.13
संवेदक का नाम	श्री सुदेश कुमार सिंह एन्ड को० कन्सट्रक्सन प्रा० लि०
कार्य आरंभ करने की तिथि	16.08.14
कार्य पूर्ण करना था	15.02.16
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू० 20172722/-- (0.01 % below)
भुगतान	रू० 20147225/-- छट्ठा चलंत बिल तक।

इस योजना के लिए नगर परिषद जमुई द्वारा डूडा जमुई को नगर सरकार भवन निर्माण के लिये रू. 29045667 राशि दिया गया था। डूडा के द्वारा भवन निर्माण कार्य में रू. 21989095 व्यय किया गया था तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद जमुई को दिया गया था। अवशेष राशि में से शेष राशि रू. 5525779 नगर परिषद जमुई को वापस कर दी गयी थी।

अंकेक्षण आपत्ति

1 Additional Performance Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू० 0.50 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र०6/1/वी०-2/2003- 3376 (एस०) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं० (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में लक्ष्य करता है तो उससे Additional

Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 1 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10% & 15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 0.01% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 50432/- का (20172722/-X 0.25%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 50432/- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 15.35 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(3) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवेदक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवेदक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(3) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1534707/- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1534707/- का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालू	1896.355 m ³	212.88/m ³	403696
2	स्टोन चिप्स	593.958 m ³	1558.53./ m ³	925701
3	ईट	377409 no.	544.00/1000	205310
				1534707

3. गुणवत्ता जाँच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जाँच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जाँच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक बार भी गुणवत्ता जाँच नहीं कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में छः एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जाँच नहीं करवायी गयी है।

4. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त सं0 4 ने यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गाँव के लोगों को लिया जाएगा जहाँ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है; यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी। परन्तु संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. संचिका से यह ज्ञात नहीं हो सका कि भवन निर्माण के लिए वहाँ की मिटटी की जाँच करायी गयी थी अथवा नहीं मिटटी जाँच से संबंधित प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं काराया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जाँच कराया गया है।
4. नगर परिषद जमुई द्वारा इसका समय-समय पर जाँच की गयी है।
5. एस0बी0डी0 की प्रति अंकेक्षण को दिखा दी गयी है।
6. टेंडर में ही मिटटी जाँच के लिए संवेदक को तकनीकी पदाधिकारी रखना था जो उनके द्वारा किया है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 07— योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित क्रियान्वयन (रु. 9 लाख)

योजना का नाम — वार्ड न0 11 हरनाहा में बजरंगबली मंदिर से डेयरी हाउस होते हुये संत थामस स्कूल तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।

एन0आई0टी0-ई-टेन्डर- 03/2015-16 ग्रुप- 03

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष -03एफ-2/2015-16

एकरारनामा की तिथि -27.11.15

एकरारित राशि -3719017 (अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत कम पर)

संवेदक का नाम - अशोक कुमार सिंह

कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि— 27.11.15/26.03.16

अन्तिम मापी — 02.02.16

मापी राशि — 2873684 (10 प्रतिशत कम पर)

कुल भुगतान — 2873684 (1st + 2nd bill)

(i) अतिरिक्त परफोर्मेंस सेक्युरिटी नहीं लिए जाने से संवेदक को अदेय सहायता रु 1.39 लाख

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पत्रांक प्र06/1/वी0-2/2003 - 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2015 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कड़िका स0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्राक्कलन से कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता तो क्लॉज के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (unbalance bid) पर निविदा डाले जाने की स्थिति में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफोर्मेंस सेक्युरिटी के रूप में राशि लिए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर से आवंटित किया गया एवं 3719017 पर एकरारनामा दिनांक 27.11.15 को किया गया। उपरोक्त क्लॉज के अनुसार 3719017 (एकरारित राशि) पर 3.75 अर्थात् 139463 अतिरिक्त परफोर्मेंस सेक्युरिटी के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त क्लॉज का उल्लंघन करते हुये राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को रु 139463 का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

(ii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे— **प्रथम स्तर**— संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के काम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**— जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**—राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार इरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

1. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने के कारण रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
2. गुणवत्ता जाँच कराया गया है।
3. कार्य पूर्ण हो गया है इसलिये Additional Performance Security की कटौती संभव नहीं है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 08— परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू. 8.40 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपटित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमान्य नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जमुई के अभिलेखों तथा रोकड़वही के जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बी.ओ.क्यू. के लिए संधारित SBI, Jamui के खाता संख्या 32990450476, Axis Bank, Jamui के खाता संख्या 915010043974737 तथा HDFC Bank, Jamui के खाता संख्या 50100092663060 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि सभी खाते में दिनांक 31.03.2017 तक रू. 555050/- जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई। इस प्रकार सरकारी धन को कार्यालय द्वारा अवरुद्ध करके रखा गया। उसी प्रकार पथ निर्माण विभाग जमुई द्वारा रू 285000 की राशि बैंक खाता सं- 464510100005329 बैंक ऑफ इंडिया जमुई में रखा गया था जिसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था।

इन राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि (अक्टूबर 17) तक नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

कंडिका 9— विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 2ब/मु.मं.-08-05/2015/51/न. वि.एवंआ.वि./पटना दिनांक 07.09.2015 में उल्लिखित विभागीय संकल्प सं. 2157 दिनांक 05.09.2013 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि सडक तथा नाला मद में कुल आवंटित राशि का 65 प्रतिशत तथा नागरिक सुविधा मद में 35 प्रतिशत राशि व्यय की जायेगी।